



क्रमांक : E.11(4)/HCM RIPA/2023-00085/ 30509

दिनांक : 21/03/2023

कार्यालय-आदेश

संस्थान रीपा, जयपुर द्वारा दिनांक 29.03.2023 को आयोजित की जा रही कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग के निरीक्षक की विभागीय परीक्षा में निम्न अधिकारी को बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है एवं परीक्षा के रोल नम्बर निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :-

रोल नम्बर	परीक्षार्थी का नाम	पता
01	सौरभ चौधरी	कार्यालय वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग, जिला उद्योग एवं वाणिज्यिक केन्द्र परिसर, श्रीगंगानगर (राज.)-335001

परीक्षा कार्यक्रम

दिनांक	समय	प्रश्न पत्र	प्रश्न पत्र विषय
29.03.2023	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक	तीसरा	राजस्थान वित्त लेखा एवं सेवा नियम

परीक्षा केन्द्र : संवाद/एन. 217, नेहरू भवन, एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।

परीक्षार्थियों हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश :-

- 1 प्रत्येक परीक्षार्थी को परीक्षा-कक्ष में परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जायेगा।
- 2 परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी को मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- 3 Bare Act/Manual के अतिरिक्त अन्य कोई अनुचित सामग्री परीक्षा-कक्ष में अनुमत नहीं होगी।
- 4 व्याख्याओं सहित अधिनियमों, मोनोग्राफ एवं नियमावतियों से सम्बन्धित प्रतियाँ परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- 5 परीक्षार्थी द्वारा किसी लिखित, अभिलिखित, प्रतिलिपि या मुद्रित सामग्री से, अप्राधिकृत सहायता लेना या किसी अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक उपकरण या गैजेट का उपयोग वर्जित है तथा दण्डनीय है। परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाईल व बैग वर्जित है।
- 6 परीक्षा कक्ष में धूम्रपान, मद्यपान चाय व पान आदि का प्रयोग अनुमत नहीं है।
- 7 परीक्षा-कक्ष में बैठने के दौरान परीक्षार्थियों के बीच उचित दूरी बनाए रखनी होगी।
- 8 परीक्षार्थी परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण करने के साथ ही अपनी जेब, डेस्क, आस पास के स्थान को भली भाँति देख ले कि वहाँ कोई पुस्तक, पर्चा, अथवा अन्य किसी प्रकार की अवांछित सामग्री तो नहीं रखी है। यदि आस पास ऐसी कोई सामग्री है तो वह परीक्षा निरीक्षक को सूचित करें अन्यथा इस संबंध में परीक्षार्थी स्वयं जवाबदेह होगा।
- 9 परीक्षार्थी परीक्षा देते समय किसी प्रकार की कोई सामग्री किसी व्यक्ति/परीक्षार्थी से न लेगा और न देगा, दूसरों के पत्रों की नकल न करेगा और न ही अपने पत्रों की नकल करने देगा। किसी प्रकार की अवस्था, अनाचरण अथवा नकल करने या इनकी कोशिश करने वाले परीक्षार्थी को निरन्तर.....

Digitally signed by N. Khangarot
Signature valid
Designation : Associate Professor
Date: 2023.03.21 12:11:20 IST
Reason: Approved



- 10 परीक्षार्थी प्रत्येक विषय की परीक्षा के समय उपस्थिति पत्रक में पूर्ण इन्द्राज कर अपने हस्ताक्षर करें।
- 11 परीक्षा-कक्ष छोड़ने से पूर्व परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका परीक्षा निरीक्षक को सम्मला दें, तत्पश्चात परीक्षा निरीक्षक से अनुमति लेकर ही परीक्षा कक्ष छोड़ें।
- 12 संस्थान द्वारा नियुक्त परीक्षा अधीक्षक/निरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों को अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध संस्थान जो भी उचित समझें, कार्यवाही कर सकता है तथा राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम, 1959 के नियम 15 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

(डॉ. मीनाक्षी खंगारोत)
एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) एवं
प्रभारी अधिकारी (परीक्षा)

दिनांक : 21/03/2023

क्रमांक : F.11(4)/HCM RIPA/2023-00085/30510-16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स, राजस्थान, कॉमर्स कालेज के पीछे, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर को प्रति भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त परीक्षा कार्यक्रम से संबंधित अम्यर्थों को अवगत कराने का श्रम करावें।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, महानिदेशक महोदय, एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी (परिसर-नेहरू भवन), एच. सी. एम. रीपा, जयपुर को प्रति भेजकर लेख है कि कृपया उक्त परीक्षा अवधि में परीक्षा-कक्ष की साफ-सफाई, बैठने तथा सैनिटाईजेशन की उचित व्यवस्था कराने हेतु संबंधित कार्मिक को निर्देशित करावें।
4. ए.सी.पी. (उप निदेशक) कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, एच. सी. एम. रीपा, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त कार्यालय आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
5. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन), एच. सी. एम. रीपा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त परीक्षा अवधि में परीक्षार्थी को परीक्षा-कक्ष में पानी पिलाने व अन्य कार्य हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की व्यवस्था करावें।
6. संबंधित परीक्षार्थी श्री सौरभ चौधरी, निरीक्षक, कार्यालय कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग, जिला उद्योग एवं वाणिज्यिक केन्द्र परिसर, श्रीगंगानगर (राज.)-335001
7. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. मीनाक्षी खंगारोत)
एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) एवं
प्रभारी अधिकारी (परीक्षा)

0/c

Signature valid

Digitally signed by M. Khangarot
Khangarot
Designation : Associate Professor
Date: 2023.03.21 12:11:20 IST
Reason: Approved

Phone: 0141-2706556, 2715222 □ Fax: 0141-2705420
Email: hcmripa@rajasthan.gov.in □ Website: www.hcmripa.rajasthan.gov.in
RajKaj Ref No. : 3440406

Page 2 of 2

